परिपत्र 01/09

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

परिपत्र :–

क्रमांक 1689 दिनांक: 5-08-09

प्रायः यह देखा गया है कि बोर्ड के परीक्षार्थी अपने प्रमाण पत्रों ,अंकतालिका में अपने नाम, माता–पिता के नाम, जन्म दिनांक में संशोधन के लिये प्रदेश के दूर–दूर के हिस्सों से आकर परेशान होते हैं संशोधन कार्यवाही किन–किन दस्तावेजों /प्रक्रिया के आधार पर की जावेगी, इसकी जानकारी नहीं होने से उन्हें बोर्ड कार्यालय के बार–बार चक्कर लगाने होते है। परीक्षा द्वितीय अनुभाग में बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या अधिक होने से प्रत्येक मामले में जानकारी देने में कार्मिकों का बहुत समय लग जाता है, जिससे बकाया कार्य का निस्तारण भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है, अतः बोर्ड द्वारा जारी दस्तावेजों में संशोधन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेजों ,शुल्क की जानकारी संलग्न परिपत्र के माध्यम से सभी शाला प्रधानाध्यापकों को जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से एवं बोर्ड की वेबसाइट पर भी सर्वसाधारण की जानकारी हेतु निम्नानुसार है।

परीक्षार्थी के नाम, पिता अथवा माता के नाम एवं जन्मतिथि में संशोधन के सम्बन्ध में निर्देश:–

वर्ष 2009 की परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षार्थियों के लिये:–

1. परीक्षार्थी जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा, है यदि उससे सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत प्रवेश पत्र अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र अथवा प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित में छात्र का नाम,पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो सम्बन्धित शाला प्रधान द्वारा संशोधन हेतु सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को तुरन्त सूचित करना चाहिये। यह कार्यवाही 30 नवम्बर तक आवश्यक कर लेनी चाहिये।
2. **बोर्ड की गत विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुवे छात्रों की जन्मतिथि/छात्र के नाम, उपनाम अथवा पिता के नाम, माता के नाम में संशोधन के सम्बध में निर्देश:–**

सम्बन्धित वर्ष के परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक ही (वर्तनी Spelling संशोधन के मामले को छोड़कर) संशोधन हेतु प्रकरण स्वीकार किये जावेंगे। इसके लिये शाला प्रधान द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को अपने पत्र, जिसमें पत्र क्रमांक/दिनांक व मुहर लगी हो, स्पष्ट अनुशंषा करनी होगी तथा निम्नांकित दस्तावेज भेजने होगें:–

1. शाला का मूल स्कॉलर रजिस्टर तथा इसकी सम्बन्धित पृष्ठ की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति
2. शाला में पूर्व में प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र तथा इसकी शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति
3. पूर्व शाला की T.C तथा इसकी शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति
4. त्रुटिपूर्ण मूल दस्तावेजात जिनमें संशोधन कराये जाने हैं।

संशोधन हेतु शुल्क निम्नानुसार निर्धारित हैं :–

1.	छात्र/छात्रा के नाम, उपनाम अथवा पिता/माता के नाम, उपनाम की वर्तनी अर्थात् स्पेलिंग में संशोधन हेतु	रू 80/- न्यूनतम तत्पश्चात् 40/- प्रति वर्तनी शुद्धि
1.	छात्र/छात्रा के नाम, पिता/माता के नाम में संशोधन हेतु	रूपये 100/-
2.	**जन्मतिथि में संशोधन**	**न्यूनतम तत्पश्चात्** 60 रू प्रति वर्ष

यह शुल्क कार्यालय में नकद जमा कराया जा सकता है अथवा सचिव, मा.शि.बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नाम से पोस्टल ऑर्डर से भेजा जा सकता हैं।

नोटः— एक ही छात्र/छात्रा से सम्बन्धित उनके संशोधन होने पर प्रत्येक संशोधन के लिये अलग-अलग शुल्क लिया जावेगा। यह शुल्क कार्यालय स्तर की गलती के लिये नहीं लिया जावेगा। यदि कोई छात्र परीक्षा में एक बार प्रविष्ट होने के उपरान्त किसी सम्बन्धी के गोद जाता है तो कार्यालय अभिलेख में उसके पिता के नाम के स्थान पर गोद गये सम्बन्धी का नाम शपथ पत्र अथवा अन्य किसी आधार पर नहीं बदला जावेगा।

नियमानुसार कार्यालय अभिलेख में छात्र के नाम/उपनाम/पिता का नाम/उपनाम/माता का नाम/उपनाम तथा छात्र की जन्मतिथि एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात् शपथ पत्रादि/गजट में प्रकाशन कर देने के आधार पर संशोधन नहीं किया जावेगा।

माता के नाम में संशोधन के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार हैः—

1. परिक्षार्थी का स्वंय का शपथपत्र
2. माता का स्वंय का शपथपत्र
3. पिता का स्वंय का शपथपत्र
4. माता का फोटो पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति
5. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति

त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों सहित उक्त दस्तावेज भी शाला प्रधान की स्पष्ट अनुशंषा पत्र के साथ सचिव, मा. शि. बोर्ड को भेजने होगें, इसके साथ संशोधन शुल्क कार्यालय में नकद जमा करानें/जरिये इण्डियन पोस्टल ऑर्डर भेजने के बाद जांच की कार्यवाही की जावेंगी।

7/8/09

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ,राजस्थान ,
अजमेर

प्रतिलिपि :— 1690—1729 4-8-09

1 विशेषाधिकारी परीक्षा
2 निदेशक परीक्षा
3 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
4 उपनिदेशक परीक्षा/ उपनिदेशक डी.पी.यू.-- वेबसाइट पर उपलब्ध रखने हेतु
5 सहायक निदेशक परीक्षा प्रथम व द्वितीय
6 समस्त अनुभाग अधिकारी
7 कार्यालय रक्षित प्रति

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ,राजस्थान ,
अजमेर

उपरोक्त परिपत्र बोर्ड की वेबसाइट
http://rajeduborad.nic.in
पर भी उपलब्ध है।